UPBS010033582018

न्यायालय द्वितीय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 2 बस्ती।

पीठासीन अधिकारी : राम करन यादव (H.J.S.)

J.O. Code No. UP6394

सिविल अपील संख्या 93/2018

रामगरीब आदि   बनाम दयाराम आदि

निस्तारण प्रार्थनापत्र कागज संख्या 31 क 2 बाबत प्रतिस्थापन विधिक प्रतिनिधि प्रत्यर्थी सं०–1 दयाराम अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता

दिनाँक 19–03–2026

पत्रावली पेश प्रस्तुत हुई । अपीलार्थी उपस्थित।प्रत्यर्थी अनुपस्थित। प्रार्थनापत्र कागज संख्या 31 क 2 बाबत प्रतिस्थापन विधिक प्रतिनिधि प्रत्यर्थी सं०–1 दयाराम अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता पर आवेदक /अपीलार्थीके विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

आवेदक/अपीलार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र कागज संख्या 31 क 2 यह कथन करते हुये प्रस्तुत किया गया है कि कि प्रत्यर्थी सं०–1 दयाराम दौरान अपील दिनाँक 19.01.2022 को अपने लड़के तथा मृतक लड़के के लड़के हस्व नाम व पता जैल को छोड़कर मर गये । यही लोग मृतक के विधिक प्रतिनिधि है अन्य कोई वारिस नहीं है। मुकदमें में न्यायपूर्ण निर्णय के लिए अपील में मृतक के वारिसान को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किये जाने की याचना की गयी है–

प्रस्तावित संशोधन

1–उन्वान अपील रेस्पान्डेन्ट नं०–1 दयाराम के सामने शब्द '' मृतक '' दर्ज किया जाय और उसके नीचे 1/1 लगायत 1/5 हस्व नाम व पता जैल को दर्ज किया जाय ।

1/1– जय प्रकाश उम्र 62 साल पुत्रगण दयाराम

1/2–सुरेन्द्र उम्र 55 साल पुत्र दयाराम

1/3– रामसुमेर उम्र 52 साल पुत्र दयाराम

1/4–शिवनन्दन उम्र 30 साल पुत्र कृष्ण प्रसाद

1/5–विश्व नन्दन उम्र 25 साल पुत्र कृष्ण प्रसाद

निवासी मोजा संतपुर उर्फ गदहाखोर ,तप्पा हवेली, परगना बस्ती पूरब ,तहसील व जिला बस्ती ।

आधार अपील में धारा 9 अ के बाद एक अतिरिक्त धारा 9 ब निम्न प्रकार से दर्ज किया जाय।

दिनाँक 19.01.2022 को अपने लड़के रेस्पान्डेन्ट नं०–1/1 लगायत 1/3 व मृतक लड़के रेस्पान्डेन्ट नं०–1/4 व 1/5 को छोड़कर मर गया यही मृतक के विधिक प्रतिनिधि है अन्य कोई वारिस नहीं है। इस कारण अपील में मृतक के विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित किया जाता है।

इस मामले में प्रत्यर्थी सं०–1 दयाराम की मृत्यु दिनांक 19–01–2022 को हुआ है । विधिक प्रतिनिधिगण के प्रतिस्थापन का यह प्रार्थनापत्र दिनाँक 07–02–2022 को दिया गया है। प्रार्थनापत्र विहित परिसीमा काल में दिया गया है । विपक्षी की ओर से प्रार्थनापत्र के विरूद्ध कोई आपत्ति नहीं की गयी है। सिविल अपील की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए मृतक प्रत्यर्थी सं०–1 दयाराम के विधिक प्रतिनिधिगण को अभिलेख पर लाने और उसके नाम के आगे मृतक लिखने और मृत्यु के संबंध में संशोधन करने की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत है । अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है ।

Digitally signed by RAM KARAN YADAV
Date: 2026.03.19 17:31:25 CET
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र कागज संख्या 31क2 बाबत प्रतिस्थापन विधिक प्रतिनिधिगण मृतक प्रत्यर्थी सं०–1 दयाराम स्वीकार किया जाता है । संशोधन तीन दिन में हो। प्रतिस्थापित विधिक प्रतिनिधियों को नोटिस जारी हो । पैरबी उभय प्रकार से तीन दिन में की जाये। पत्रावली दिनाँक 07–4–2026 को वास्ते सुनवाई पेश हो ।

दिनाँक 19–03–2026

(राम करन यादव)
J.O. Code No. UP. 6394
अपर जनपद न्यायाधीश
न्यायालय संख्या 2
जनपद बस्ती